जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-23.06.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पशुओं का कटान करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120 किग्रा मांस, अवैध छुरी व कटान करने के उपकरण बरामदः-

आज दिनांक 23.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मौहल्ला शाहखासी दरवाजा कस्बा झिंझाना में छापेमारी करते हुए 03 अभियुक्तगण को 120 किलोग्राम पशु मांस, कटान करने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

1.उस्मान पुत्र अहसान निवासी मौहल्ला शाहखासी दरवाजा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मकबूल पुत्र शफीक निवासी मौहल्ला शाहखासी दरवाजा थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.अनस पुत्र इमरान निवासी मौहल्ला आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगीः-

1- 120 किग्रा मांस (भैंस का)।

2- अवैध छुरी 03 अदद।

3- कटान करने के उपकरण (02 दांव, एक लकड़ी का गुटका, 05 क्रेट प्लास्टिक की, एक लोहे की राड़ आदि)।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 लीटर कच्ची शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 23.06.2025 की को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 20 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.गौतम उर्फ गौरव पुत्र सीताराम निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 20 लीटर कच्ची शराब।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2024 में अभियुक्त आसिफ पुत्र आशू निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 24/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 23.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 05 माह की अवधि का कारावास व 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI